न्यायालय :- जिला न्यायाधीश, धौलपुर

अनिल बनाम सुनील वगैरा

मूल वाद सं.- 1249/15

दिनांक 24.02.2026

दोनों पक्षों के अधिवक्तागण उपस्थित । बहस प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी सुनी गई । अधिवक्ता वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पत्रावली में साक्ष्य वादी में वादी के बयान चल रहे हैं व वादी के द्वारा पूर्व में तीन दस्तावेज जो कि इस प्रकरण में पूर्ण रूप से सुसंगत है, पेश करने रह गए थे, जिनमें से एक दस्तावेज वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि है जो कि इस बात को दर्शाती है कि जिस संपत्ति के बंटवारे के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है, वह संपत्ति शिवनारायण गुप्ता के पास वसीयत के जरिए आई थी। इसके अतिरिक्त एक दस्तावेज जनरल पावर ऑफ अटार्नी है, जो कि शिवनारायण गुप्ता के द्वारा वादी के पक्ष में की गई है, जिससे यह साबित होता है कि शिवनारायण गुप्ता किसी भी तरह से उक्त संपत्ति की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में नहीं कर सकते थे जो प्रतिवादी अपने जवाब दावे में क्लेम कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त एक दस्तावेज उस एफ.आई.आर. से संबंधित है, जिसमें प्रतिवादी के पुत्र ने वादी अनिल अपने ताऊ का कत्ल किया था, इसी संपत्ति को लेकर और निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तीनों दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाएं ।

अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का खंडन जरिए जवाब किया गया व कथन किया कि उक्त तीनों दस्तावेज किसी भी तरह से इस प्रकरण में निर्णय लेने के सुसंगत नहीं है और निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाएं ।

दोनों पक्षों को सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया, जो दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए, उनका भी अवलोकन किया गया ।

अब हमें यह देखना है कि क्या उक्त तीनों दस्तावेज इस प्रकरण में निर्णय लेने के लिए सुसंगत है अथवा नहीं ?

जो वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की गई है वो इस आशय की प्रस्तुत की गई कि शिवनारायण गुप्ता के पास जिस संपति के बंटवारे के संबंध में यह वाद प्रस्तुत किया गया है एक वसीयत के माध्यम से आई थी । प्रतिवादी का यह कथन है कि शिवनारायण गुप्ता ने उक्त संपत्ति प्रतिवादी सुनिल को जरिए वसीयत दी है, इसलिए जो वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है उस पर किसी भी तरह का ~~अभाव~~ विवाद नहीं है, इसलिए इसे रिकॉर्ड पर लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इसके अतिरिक्त जो जनरल पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत की गई है वह इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि शिवनारायण गुप्ता के द्वारा अपनी सभी संपत्तियों के संबंध में वादी अनिल कुमार को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी, ऐसे में वादी यह साबित करना चाहता है कि जब शिवनारायण गुप्ता को भरोसा वादी पर था तो प्रतिवादी को वसीयत के जरिए संपत्ति देने का प्रश्न नहीं उठता है । इसलिए उक्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इस प्रकरण में पूरी तरह से सुसंगत है व इसे रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है ।

जहां तक फौजदारी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनका इस बंटवारे के प्रकरण में किसी भी तरह से सुसंगत होना नहीं माना जा सकता है और न ही उनकी कोई आवश्यकता है । अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का उक्त प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर जो इस प्रार्थना पत्र के साथ जनरल पावर ऑफ अटार्नी लगाई गई है, उसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है । पत्रावली में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राहुल गुप्ता के बयान चल रहे है, अगली तारीख पर गवाह पी.डब्ल्यू. 1 राहुल गुप्ता को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित रखे । वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को पेश हो ।

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)